न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–प्रथम,बहराइच।

सत्र परीक्षण संख्या २३/२०२०

(सी.एन.आर. नं० यू०पी० बी.एच.०१०००४६१–२०२०)

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी०६२४६,

राज्य **बनाम** कृष्ण गोपाल आदि

अपराध संख्या–२३७७/२०१७

धारा–३४२,३७६,३२३,४९८ए,१२०बी,५०४,५०६

भा०द०सं० व धारा ३/४ डी.पी.ऐक्ट

थाना कोतवाली देहात, जिला बहराइच।

आरोप

मैं, अमित कुमार पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–प्रथम, बहराइच एतदद्वारा आप अभियुक्त **कृष्ण गोपाल** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

१– यह कि आपने वादिनी मुकदमा को सह अभियुक्तगणों के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में विधि विरूद्ध माँग को पूरी करने के लिए उसे प्रपीड़ित करने की दृष्टि से उसके प्रति क्रूरता किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध किया गण जो भा०द०सं० की धारा ४९८ए/३४ के अन्तर्गत दण्डनीय है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२– यह कि दिनांक ०४.१०.२०१७ को समय २२.०० बजे बहद स्थान ग्राम वादिनी का घर ग्राम माधवरेती थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को स्वेच्छया मारकर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा ३२३/३४ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

३– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादिनी/पीड़िता का सदोष परिरोध किया। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा ३४२ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

४– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादिनी/पीड़िता के साथ अपराध करने के सम्बन्ध में आपराधिक षड़यन्त्र किया। इस प्रकार आपका कृत्य भा०द०सं० की धारा १२०बी के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

५– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्संग किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०द०सं० की धारा ३७६ के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

६– यह कि उपरोक्त दिनांक को आपने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शान्ति भंग कर सकती थी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०द०सं० की धारा ५०४ के अधीन दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

७– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा/पीड़िता को भयाक्रान्त करने की नियत से धमकी दी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०द०सं० की धारा ५०६ के अधीन दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

८– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा एवं उसके परिवार वालो से अतिरिक्त दहेज की माँग की तथा मांग पूरी न होने पर आपने विभिन्न तिथियों व समय पर वादिनी मुकदमा को मारा पीटा तथा प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं,एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–
प्रथम,बहराइच।

दिनांक १६.०२.२०२१

अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–
प्रथम,बहराइच।

दिनांक १६.०२.२०२१

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–प्रथम,बहराइच।</u>

सत्र परीक्षण संख्या २३/२०२०

(सी.एन.आर. नं० यू०पी० बी.एच.०१०००४६१–२०२०)

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी०६२४६,

राज्य **बनाम** कृष्ण गोपाल आदि

अपराध संख्या–२३७७/२०१७

धारा–३४२,३२३,४९८ए,१२०बी,५०४,५०६

भा०द०सं० व धारा ३/४ डी.पी.ऐक्ट

थाना कोतवाली देहात, जिला बहराइच।

<u>आरोप</u>

मैं, अमित कुमार पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–प्रथम, बहराइच एतदद्वारा आप अभियुक्तगण **अजय बाजपेई, राम गोपाल, राज बहादुर, मोहन अवस्थी,मुन्नीदेवी, पुष्पावती एवं बीनू** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

१– यह कि आप अभियुक्तगणो ने सामान्य आशय की पूर्ति में विधि विरूद्ध माँग को पूरी करने के लिए वादिनी मुकदमा को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से उसके प्रति क्रूरता किया गया है। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध किया गण जो भा०द०सं० की धारा ४९८ए/३४ के अन्तर्गत दण्डनीय है,जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२– यह कि दिनांक ०४.१०.२०१७ को समय २२.०० बजे बहद स्थान ग्राम वादिनी का घर ग्राम माधवरेती थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को स्वेच्छया मारकर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा ३२३/३४ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

३– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने आशय के अग्रसरण में वादिनी/पीड़िता का सदोष परिरोध किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा ३४२/३४ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

४– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने वादिनी/पीड़िता के साथ अपराध करने के सम्बन्ध में आपराधिक षड़यन्त्र किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा १२०बी के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

५– यह कि उपरोक्त दिनांक को आप लोगों ने आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोक शान्ति भंग कर सकती थी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया जो भा०द०सं० की धारा ५०४/३४ के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

६– यह कि उपरोक्त दिनांक,समय व स्थान पर आप लोगों ने आशय के अग्रसरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता को भयाक्रान्त करने की नियत से धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया जो भा०द०सं० की धारा ५०६/३४ के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

७– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगणों ने वादिनी मुकदमा एवं उसके परिवार वालो से अतिरिक्त दहेज की माँग की तथा मांग पूरी न होने पर आपने विभिन्न तिथियों व समय पर वादिनी मुकदमा को मारा पीटा तथा प्रताड़ित किया। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं,एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–
प्रथम,बहराइच।

दिनांक १६.०२.२०२१

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–
प्रथम,बहराइच।

दिनांक १६.०२.२०२१

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–प्रथम,बहराइच।

सत्र परीक्षण संख्या २३/२०२०

राज्य **बनाम** कृष्ण गोपाल आदि

१६–०२–२०२१

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र वास्ते वारण्ट रिकाल प्रस्तुत हुआ। सुना। आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा दस हजार रूपये का निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर गैर जमानती वारण्ट निरस्त किया जाता है।

आरोप के बिन्दु पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्त कृष्ण गोपाल के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा ३४२/३४,३७६,३२३/३४,४९८ए/३४,१२०बी,५०४/३४,५०६/३४ व धारा ३/४ डी.पी.ऐक्ट के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण अजय बाजपेई, राम गोपाल, राज बहादुर, मोहन अवस्थी, मुन्नीदेवी, पुष्पावती एवं बीनू के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा ३४२/३४, ३२३/३४, ४९८ए/३४, १२०बी,५०४/३४,५०६/३४ व धारा ३/४ डी.पी.ऐक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये युक्तियुक्त व पर्याप्त आधार विद्यमान है,तदनुसार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जावे।

पत्रावली दिनांक ०९–०३–२०२१ को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या १ व २ पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(अमित कुमार पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पॉक्सों ऐक्ट–
प्रथम,बहराइच।